भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2760
उत्तर देने की तारीख 10 जुलाई, 2019

दूरभाष परामर्शदात्री समिति

2760. **श्री रेवती त्रीपुरा; श्री संतोष कुमार; श्री अनुराग शर्मा; श्री विजय कुमार दुबे:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विशेषकर बुंदेलखंड, बिहार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संबंधित दूरसंचार परिमंडल के दूरभाष परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए कोई मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी समय-सीमा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) समिति गठित करने हेतु तंत्र तथा दूरभाष परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के मनोनयन की निगरानी करने संबंधी तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने संबंधी समय-सीमा यदि कोई हो, क्या है; और

(घ) जिन स्थानों पर यह मनोनयन शुरू कर दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय, तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख): टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) के सदस्यों का नामांकन दिनांक 10.09.2004 के परिपत्र सं. 8-01/2004-पीएचपी (अनुबंध-I) और दिनांक 23.05.2016 के यथा संशोधित परिपत्र सं. 5-15/2005-पीएचपी (अनुबंध-II) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बुंदेलखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित किसी भी दूरसंचार सर्किल के लिए विशिष्ट टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) के सदस्यों के नामांकन के लिए अलग से कोई मानदण्ड नहीं है।

(ग) और (घ): लोकसभा और राज्य सभा के माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों पर टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) के सदस्यों के नामांकनों पर विचार किया जाता है और प्राथमिकता के आधार पर संचार मंत्री के स्तर पर अनुमोदन किया जाता है। टेलीफोन सलाहकार समितियां (टीएसी) सभी दूरसंचार जिला स्तरों पर पहले से ही कार्यरत हैं और इन टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) की वर्तमान अवधि 14.11.2019 तक है। तथापि, टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) में सदस्यों का जुड़ना/निकलना लगा रहता है।

अनुबंध-।

लोकसभा में माननीय संसद सदस्य श्री रेवती त्रीपुरा, श्री संतोष कुमार, श्री अनुराग शर्मा और श्री विजय कुमार दुबे द्वारा टेलीफोन सलाहकार समिति के संबंध में उठाए गए दिनांक 10 जुलाई 2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 2760 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
415, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-01

सं. 8-01/2004-पीएचपी **10 सितंबर, 2004**

परिपत्र

विषय: दूरसंचार जिला स्तरों पर टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) का गठन।

यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य महाप्रबंधक (पीजीएम), महाप्रबंधक (जीएम), दूरसंचार जिला प्रबंधक (टीडीएम) या दूरसंचार जिला इंजिनियर (टीडीई), जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में दो वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीसीए) का पुनर्गठन किया जाएगा। महानगर जिलों नामत: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के मामले में संबंधित एरिया महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक टीएसी का गठन किया जाएगा।

टीएसी निम्नलिखित तरीके से कार्य करेगी:-

<u>टीएसी में संसद सदस्यों का नाम-निर्देशन</u>

i. माननीय संसद सदस्य अपने पद के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली केवल एक टीएसी के सदस्य होंगे। नामित राज्य सभा संसद सदस्य को उनके अंगीकृत निर्वाचन क्षेत्र (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलडी) कार्यक्रम के लिए अंगीकृत निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में) से नामांकित किया जा सकता है। तथापि, मंत्री पद ग्रहण करने के उपरांत माननीय संसद सदस्य टीएसी में नाम-निर्देशित नही किए जाएंगे/टीएसी की सदस्यता छोड़ देंगे।

ii. माननीय संसद सदस्यों को टीएसी की बैठकों में उपस्थित रहने पर सह-अध्यक्ष का स्तर प्रदान किया जाएगा।

iii. माननीय संसद सदस्य टीएसी के कार्यकाल तक या सदन (राज्य सभा/लोक सभा) के सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो, टीएसी के सदस्य बने रहेंगे।

<u>टीएसी की संख्या</u>

एक टीएसी में अधिकतम सदस्य संख्या 20 होगी। तथापि, किसी विशेष मामले में दूरसंचार विभाग के विशिष्ट आदेश के माध्यम से संख्या को संशोधित किया जा सकता है।

<u>टीएसी सदस्य का नाम-निर्देशन</u>

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नाम -निर्देशित सदस्य का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/ भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अतिदेय टेलीफोन बिल/बकाया लंबित न हो।

<u>टीएसी सदस्यों को सुविधाएं</u>

i. प्रत्येक टीएसी सदस्य को संबंधित टीएसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर उनके आवास पर बिना बारी के आधार पर एक रेंट-फ्री टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी जिसमें वाणिज्यिक नीति के अनुसार आईएसडी/एसटीडी सुविधा के बिना सामान्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध 500+ फ्री कॉल की सुविधा होगी।

ii. वर्तमान नीति के अनुसार फ्री कॉलों से अधिक की गई काल के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक योजना में प्रभार लिया जाएगा। यदि क्षेत्र तकनीकी तौर पर व्यवहार्य नहीं है तो फिक्स डब्ल्यूएलएल कनेक्शन प्रदान कराया जाएगा। यदि कोई टीएसी सदस्य वाणिज्यिक औपचारिकताओं का पालन करता है तो टीएसी सदस्य को सीएलआईपी सुविधा प्रदान की जाएगी। सीएलआईपी टेलीफोन/उपकरण का प्रापण टीएसी सदस्य द्वारा किया जाएगा।

iii. टीएसी सदस्यों को उनके कार्यशील निजी टेलीफोन पर यदि एसटीडी/आईएसडी सुविधा उपलब्ध है तो उसको वापस लेकर और अद्यतन बिल, यदि कोई है, का भुगतान करने के अध्यधीन अपने निजी टेलीफोन को टीएसी टेलीफोन कनेक्शन के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति होगी। यह प्रत्येक टीएसी सदस्य का कर्तव्य होगा कि वह सदस्य के लिए समय समय पर प्रयोज्य वाणिज्यिक नीति के अनुसार फ्री कॉलों से अधिक की कालों के लिए टेलीफोन बिल का भुगतान करेगा।

iv. संबंधित जीएम स्तर का अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि टीएसी सदस्य से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिक बिलिंग राशि वसूल की जा रही है और वह नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।

v. उसके कार्यकाल की समाप्ति पर टीएसी का सदस्य टीएसी सदस्य को निजी आधार पर अपना टेलीफोन कनेक्शन रखने की अनुमति दी जा सकती है।

<u>टीएसी बैठकों में भाग लेने के लिए टीएसी सदस्यों को टीए/डीए</u>

प्रत्येक टीएसी जब संसद/राज्य विधान सभा के सत्र न चल रहे हों, के समय को प्राथमिकता देते हुए प्रतिवर्ष कम से कम दो बैठको का आयोजन करेगी।

i. माननीय संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य उनको लागू नियमों के अनुसार टीए/डीए प्राप्त करने के हकदार हैं। (एफआरएसआर-।। परिशिष्ट 2)

ii. गैर-आधिकारिक टीएसी सदस्य भी नियमानुसार टीए/डीए प्राप्त करने के हकदार हैं (एफआरएसआर-।।)

<u>टीएसी के प्रकार्य</u>

i. टीएसी टेलीफोन उपभोक्ताओं और बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।

ii. जनता को भरोसा दिलाना कि उनकी शिकायतों का उचित उत्तर दिए जाने के साथ साथ उनका समाधान भी किया जाएगा।

iii. बीएसएनएल/एमटीएनएल की विभिन्न सेवाओं के बारे में टेलीफोन उपभोक्ताओं को शिक्षित करना/उनके बीच जागरूकता पैदा करना।

iv. दक्षता के लिए उपायों की सुझाव देना।

<u>टीएसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना</u>

टीएसी की सदस्यता को दूरसंचार विभाग के आदेश से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, अपात्रता शर्तें जिनकी वजह से सदस्यता समाप्त की जा सकती है, निम्नानुसार हैं:

i. यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता वाली टीएसी की दो लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है।
ii. टीएसी अध्यक्ष द्वारा टीएसी सदस्य की ओर से किए गए बुरे व्यवहार/असामाजिक या समाज विरोधी कार्यकलापों की रिपोर्ट करने पर।
iii. यदि सदस्य के टेलीफोन कनेक्शन पर अतिदेय बकाया चल रहा है।

कृपया इस परिपत्र की पावती दें।

(अजीत सिंह)
निदेशक (पीएचपी)
दूरभाष: 23372531

सेवा में,

अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल, नई दिल्ली
अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. सभी माननीय संसद सदस्य
(संपर्क अधिकारी (फोन), दूरसंचार विभाग, कमरा सं. 520, पांचवी मंजिल, संसद भवन सौंध, नई दिल्ली-1 उनसे अनुरोध है कि इसे बिना किसी चूक के सभी माननीय संसद सदस्यों की जानकारी मे लाएं)
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री/राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सचिव
3. अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) के प्रधान निजी सचिव
4. सदस्य (एस) के प्रधान निजी सचिव
5. प्रेस सूचना अधिकारी, दूरसंचार विभाग, पीआईबी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6.

(संगीता चुघ)
सहायक महानिदेशक (पीएसपी-I)
दूरभाष: 23725254

अनुबंध-II

लोकसभा में माननीय संसद सदस्य श्री रेवती त्रीपुरा, श्री संतोष कुमार, श्री अनुराग शर्मा और श्री विजय कुमार दुबे द्वारा टेलीफोन सलाहकार समिति के संबंध में उठाए गए दिनांक 10 जुलाई 2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 2760 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

सं. 5-15/2005-पीएचपी

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
कमरा सं. 516, पीएचपी अनुभाग, 20, अशोक रोड, संचार भवन, नई दिल्ली-01

23 मई, 2016

परिपत्र

विषय: टीएसी की बैठकों में माननीय संसद सदस्यों को अध्यक्ष के पद का दर्जा देने के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 10.09.2014 के परिपत्र सं. 8-01/2004-पीएचपी और 26.10.2010 के परिपत्र सं. 08-01/2009-पीएचपी में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय ससंद सदस्य जिन बैठकों में उपस्थित होंगे उन बैठकों में उन्हें टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) के अध्यक्ष पद का दर्जा दिया जाएगा। तथापि, टीएसी में एक से अधिक संसद सदस्य होने पर टीएसी का क्षेत्राधिकार एक संसद सदस्य के संसदीय क्षेत्र से अधिक होने के मामले में एक संसद सदस्य को टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठकों में अध्यक्ष के पद का दर्जा दिया जाएगा जबकि अन्य संसद सदस्यों को सह-अध्यक्ष के पद का दर्जा दिया जाएगा।

2. इसके अलावा संबंधित प्रधान महाप्रबंधक (पीजीएम), महाप्रबंधक (जीएम), दूरसंचार जिला प्रबंधक (टीडीएम) अथवा दूरसंचार जिला अभियंता (टीडीई) को टीएसी की बैठकों में सदस्य सचिव का पद दिया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै जैसे मेट्रो जिलों के मामले में संबंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक को टीएसी की बैठकों में सदस्य-सचिव के पद का दर्जा दिया जाएगा।

3. दिनांक 10.09.2004 के परिपत्र सं. 8-01/2004-पीएचपी और 26.10.2010 के परिपत्र सं. 08-01/2009-पीएचपी में उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष विषय-वस्तु यथावत रहेगी।

4. इसे माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(उर्वशी सांगवान)
सहायक महानिदेशक (पीएचपी)
दूरभाष: 23036255

सेवा में,

1. **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल, नई दिल्ली**
2. **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल, नई दिल्ली**
3. **संचार सर्कलों के सभी सीजीएम**
4. **संचार जिलों के सभी प्रमुख**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. **माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के निजी सचिव।**
2. **सचिव (टी) के प्रधान निजी सचिव।**
3. **सदस्य (एस)/ सदस्य (एफ)/ सदस्य (टी) के प्रधान निजी सचिव।**
4. **अपर सचिव(टी)/प्रशासक (यूएसओएफ)/सलाहकार(ओ)/सलाहकार(टी)/सलाहकार(एफ)/बेतार सलाहकार(डब्ल्यूपीसी)।**
5. **दूरसंचार विभाग के सभी वरिष्ठ डीडीजी/सभी संयुक्त सचिव/कानूनी सलाहकार।**
6. **दूरसंचार विभाग के निदेशक (आईटी) को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के लिए**
7. **दूरसंचार विभाग के सभी अनुभाग/स्कंध**
8. **गार्ड फाइल।**

****